जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751–244228 (कार्यालय)
ई–मेल : E-mail : jiwajidcdc@gmail.com

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2025/17893 **दिनांक : 31.01.2025**

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य **(अंतिम स्मरण पत्र)**
समस्त अशासकीय महाविद्यालय
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

विषयः– परिनियम 28/17 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के बैंक स्टेटमेन्ट एवं आधार कार्ड विश्वविद्यालय में जमा करने, महाविद्यालय की वेबसाईट अद्यतन करने एवं कार्यरत शिक्षकों की जानकारी महाविद्यालय के पटल पर प्रदर्शित करने बावत्।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक 17867 दिनांक 07.01.2025

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28/17 के अंतर्गत कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों के **03 माह के बैंक स्टेटमेन्ट एवं आधार कार्ड** की छाया प्रति विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कराया जाना है किन्तु कई महाविद्यालयों द्वारा चाही गई जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि, उचित नहीं है।

उक्त संबंध में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी प्राचार्य से सत्यापित कराकर **दिनांक 15.02.2025** तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी में सम्बद्धता विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के साथ ही संबंधित अभिलेख/रिकॉर्ड महाविद्यालय में संधारित करें तथा महाविद्यालय की वेबसाईट पर शिक्षकों संबंधित समस्त जानकारी प्रदर्शित की जाये। जिससे समय–समय पर उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। तथा महाविद्यालय में नियुक्त प्रचार्य/शिक्षकों की जानकारी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित की जावे जिससे छात्र/छात्राओं को असुविधा का सामना ना करना पड़े। जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं रिकॉर्ड संधारित नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025–26 की सम्बद्धता पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की स्वयं की होगी।

विशेष नोटः– स्मरण पत्र में अंकित अवधि तक परिनियम 28/17 के अंतर्गत माननीय कार्यपरिषद् से अनुमोदित कार्यरत शिक्षकों के बैंक स्टेटमेन्ट एवं आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो यह माना जावेगा कि उक्त शिक्षक महाविद्यालय में कार्यरत नहीं हैं। एवं उक्त संबंध में विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल द्वारा होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर–चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. प्रभारी, आई.टी. सेल, विश्वविद्यालयीन वेबसाईट पर प्रसारित हेतु।

निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद